

न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

मैनुअल नं. 71/प्रा.पत्र/2024

20.08.2024

13.11.2024

(GCMS No. 2024/120)

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

गोप्या, मोहन पि. घीस्या, झमकू, नानी पुत्रिया घीस्या जाति भील,
निवासी ग्राम सूतड़ा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार।

अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी घीस्या वल्द गोरधन को किये गये भूमि आवंटन खसरा सं. 723/1015 रकबा 0.2347 हैक्टेयर वाकेग्राम सूतड़ा आवंटन आदेश दिनांक 06.12.1975 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 71/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/120 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। प्रार्थना पत्र के संलग्न हल्का पटवारी, भूअभिलेख निरीक्षक एव नायब तहसीलदार डाबी की संयुक्त रिपोर्ट अनुसार समस्त गैर खातेदारान की मृत्यु हो चुकी है एवं मौतबिरानों से उनके वारिसान की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने से गैर खातेदारान का फोती नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही नहीं हो पायी है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के वारिसान की सुनवाई किया जाना संभव नहीं होने से प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

तत्पश्चात बहस परोकार सरकार सुनी गयी।

जिला कलेक्टर, बून्दी



पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये गये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं है, अपितु उक्त भूमि पर मौके पर रलाव और खानों के पत्थर पड़े हुए है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।



न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि घीस्या पुत्र गोरधन जाति भील निवासी सूतड़ा को दिनांक 06.12.1975 को भूमि ख.सं. 723/1075 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा वाकेग्राम सूतड़ा का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) पेश किया है। प्रार्थना पत्र के संलग्न हल्का पटवारी, भू.अभिलेख निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार डाबी की संयुक्त रिपोर्ट अनुसार घीस्या पुत्र गोरधन तथा उसके वारिसान की मृत्यु हो चुकी है एवं ग्रामवासियों के अनुसार वर्तमान गैर खातेदारान के वारिसान की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने से उक्त गैर खातेदारान का फोती नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही नहीं हो पायी है। गैर खातेदारान के वारिसान की जानकारी नहीं होने के कारण इस प्रकरण में भी मृतक अप्रार्थीगण के कायम मुकाम बनाये जाने की कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत् 2076 के अनुसार खसरा सं. 723/1015 रकबा 0.2347 हैक्टेयर गोप्या, मोहन पि. घीस्या, झमकू नानी पुत्रिया घीस्या गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। खसरा गिरदावरी खरीफ (सियालू) संवत् 2080 के अनुसार उक्त भूमि पर फसल नहीं बोई जाकर "पड़त" पड़ी हुई है तथा उक्त भूमि पर मौके पर रलाव और खानों के पत्थर पड़े हुए है। इससे स्पष्ट है कि आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काशत करना आवश्यक है। जबकि इस प्रकरण में आवंटी या उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं होना, गैर खातेदारान की मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसान की जानकारी के अभाव में राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि मृतक व्यक्तियों के नाम ही दर्ज रेकार्ड होना, भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग होना आदि तथ्यों से आवंटन की शर्तों का उल्लंघन होना प्रमाणित है। ऐसे में उक्त आवंटन खारिज किये जाने योग्य है।

जिला कलेक्टर, बुंदी

उपरोक्त विवेचन के आधार एवं विधिक प्रावधानों की अनुपालना में उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी घीस्या पुत्र गोर्धन जाति भील निवासी सूतड़ा को किया गया भूमि आवंटन खसरा सं. 723/1075 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा हाल रकबा 0.2347 हेक्टेयर वार्केग्राम सूतड़ा दिनांक 06.12.1975 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उनके विरुद्ध अतिक्रमी की हैसियत से बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल क़तर करवाई जावे।



आदेश आज दिनांक 13.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर बुन्दी